भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नभ सं. 2542

(14 दिसंबर, 2021 को उत्त2र दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीउकृत आवास

2542. श्री दिव्ये न्दु अधिकारी :

श्री उपेन्द्र् सिंह रावत :

श्रीमती केशरी देवी पटेल :

श्री कनकमल कटारा :

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले और राजस्था)न के बांसवाड़ा और डूंगरपुर सहित देश में प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण पीएमएवाई के तहत स्वीरकृत/आवंटित आवासों की संख्या कितनी है और उनकी स्थिति क्या है और इस संबंध में स्वीरकृत बजट का राज्यट–वार/जिले-वार ब्यौसरा क्या ा है

(ख) देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश और राजस्थापन राज्यों में , वर्ष 2021 में अब तक निर्मित आवासों की संख्याम कितनी है और राज्यर-वार/जिले-वार कितने आवासों का निर्माण किए जाने की संभावना है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्मित आवासों और लाभार्थियों को आवंटित किए गए आवासों की कुल संख्याभ का राज्ये-वार ब्यौ रा क्या ो है

(घ) क्याय उक्तर कार्य में लगे कई ठेकेदारों को काली सूची में डाल दिया गया है

(ङ) क्याय उक्तर योजना अपने लक्ष्यठ से पीछे चल रही है और यदि हां तो इसके राज्य्–वार और जिले-वार क्या कारण है; और

(च) क्याक इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई पहल की जा रही है और सभी हितधारकों को समय पर आवास मिलना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं

उत्तवर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(साध्वी निरंजन ज्योति)

(क): प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले और राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले सहित देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान स्वीकृत /आवंटित आवासों की संख्या और इनके पूरा होने की स्थिति के साथ राज्यों को रिलीज किए गए केंद्रीय अंश के ब्यौरे **अनुबंध-I** में दी गई है।

(ख): प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में दिनांक 01 अप्रैल, 2016 से कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएवाई -जी के तहत देश में कुल 1,66,04,079 आवासों का निर्माण किया गया है , जिसमें दिनांक 09.12.2021 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों में क्रमश: 22,68,068 और 12,17,543 आवास शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक जितने आवासों का निर्माण होने की संभावना है , उनका राज्यवार ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 तक पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों के लिए स्वीकृत आवासों की कुल संख्या और पूरे किए गए आवासों का राज्यवार ब्यौरा उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर में **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(घ): पीएमएवाई-जी के तहत, निधियां लाभार्थी को सीधे उसके बैंक खाते में अंतरित की जाती हैं, और आवास का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं या उसकी देखरेख में किया जाता है। चूंकि, ठेकेदारों द्वारा पीएमएवाई-जी मकानों के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है , इसलिए ठेकेदारों को काली सूची में डालने का प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) और (च): पीएमएवाई -जी के तहत राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 2.63 करोड़ आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें से 2.13 करोड़ आवास स्वीकृत जा चुके हैं, 2.01 करोड़ लाभार्थियों को निधियों की पहली किस्त जारी की गई है और दिनांक 09.12.2021 तक 1.66 करोड़ आवास पूरे कर लिए गए हैं। कोविड -19 महामारी के कारण लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान , पीएमएवाई-जी के तहत आवासों के निर्माण सहित सभी निर्माण गतिविधियां भी प्रभावित हुईं जिससे पीएमएवाई-जी आवासों के निर्माण की गति धीमी हो गई। इसके अलावा , इस विलम्ब का कारण राज्य कोषागार से पीएमएवाई-जी के राज्य नोडल खाते में केन्द्रीय और राज्य के हिस्से की राशि की रिलीज में विलंब, लाभार्थियों की अनिच्छा, प्रवासन, मृत लाभार्थियों से संबंधित विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि आवंटन में विलंब और कई बार आम चुनाव/विधानसभा/पंचायत चुनाव , भवन निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता भी है। यह मंत्रालय पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासों के निर्माण कार्य का समय पर पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित पहल कर रहा है:-

i. लक्षित मकानों के निर्माण कार्य का समय पर समापन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा।
ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया है कि वे पीएमएवाई -जी के अंतर्गत अनुमोदित मकानों के निर्माण कार्य के समापन में तेजी लाएं और इस प्रक्रिया में उन मकानों पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता दें, जिनके लिए दूसरी और तीसरी किस्तें रिलीज की जा चुकी हैं।

iii. मकानों की स्वीकृति में कमियों , पीएमएवाई-जी की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शोधन और राजकोष से एसएनए को केंद्रीय अंश /राज्य सदृश अंश की रिलीज करने जैसे विभिन्न पैरामीटरों की दैनिक निगरानी।

iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन तथा मंत्रालय के स्तर पर पर्याप्त निधियों को रिलीज करना।

v. मकान के निर्माण के लिए पर्यावरण के अनुकूल तथा अभिनव प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

vi. ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों के लिए भूमि का प्रावधान और निधियों के केंद्रीय और राज्य अंश की रिलीज सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।

vii. राज्यों के सामने आ रहे तकनीकी मुद्दों तथा अन्य बाधाओं का शीघ्र समाधान।

viii. ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम की कवरेज बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं जिससे प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों की उपलब्धता बढ़ेगी और गुणवत्तापूर्ण मकानों का तेजी से निर्माण होगा।

ix. निष्पादन इंडेक्स डैशबार्ड के आधार पर सर्वोत्तम कार्यनिष्पादक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों को पुरस्कार जिससे निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के बीच सकारात्मक प्रतियोगिता एवं प्रेरणा का माहौल तैयार होगा।

*****

अनुबंध-I

पीएमएवाई-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत मकानों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 14.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं 2542 के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित ब्यौरा

प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले और राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले सहित देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान स्वीकृत/आवंटित आवासों की संख्या और इनके पूरा होने की स्थिति।

क्र. सं.	राज्य का नाम	आवंटित लक्ष्य (इकाई संख्या में)	स्वीकृत मकान (इकाई संख्या में)	पूर्ण किए गए मकान (इकाई संख्या में)	रिलीज की गई केंद्रीय सहायता राशि (रुपये लाख में)
1	अरुणाचल प्रदेश	20779	19646	3249	0.00
2	असम	622019	493116	373905	318148.30
3	बिहार	1599095	1527332	1900662	1603621.97
4	छत्तीसगढ़	657875	657690	435652	350662.44
5	गोवा	1280	0	112	0.00
6	गुजरात	218875	201846	169427	126053.86
7	हरियाणा	1249	401	13846	6294.84
8	हिमाचल प्रदेश	4774	4756	4148	2530.89
9	जम्मू और कश्मीर	104638	101929	41796	109038.46
10	झारखंड	822861	808925	664667	752479.97
11	केरल	0	0	7984	0.00
12	मध्य प्रदेश	1790914	1790881	1211530	1110819.81
13	महाराष्ट्र	732706	619931	476009	426095.76
14	मणिपुरी	24742	23896	11185	9949.28
15	मेघालय	42932	40443	21340	33989.57
16	मिजोरम	6938	6932	3020	4540.04
17	नागालैंड	15902	8367	4239	1739.92
18	उड़ीसा	1141724	1099978	1159421	830952.93
19	पंजाब	10000	9996	17069	4922.04
20	राजस्थान	861166	863008	808842	638206.03
	बांसवाड़ा*	118950	91280	78114	-
	डूंगरपुर*	89138	65791	69386	-
21	सिक्किम	260	179	693	65.03
22	तमिलनाडु	221000	203411	206243	106894.33

23	त्रिपुरा	28838	23591	42307	35080.03
24	उत्तर प्रदेश	1214651	1213612	638458	875239.88
	प्रयागराज*	43035	43009	17123	-
25	उत्तराखंड	13399	12549	6136	9598.30
26	पश्चिम बंगाल	2593326	2504508	1704702	1915938.88
27	अण्डमान और निकोबार	962	1145	769	1687.95
28	दादरा और नगर हवेली	4585	4581	1389	6544.97
29	दमन और दीव	0	0	7	0.00
30	लक्षद्वीप	0	0	37	0.00
31	पुदुचेरी	0	0	0	0.00
32	आंध्र प्रदेश	0	0	18682	18605.43
33	कर्नाटक	42267	37712	53250	49782.48
34	तेलंगाना	0	0	0	0.00
35	लद्दाख	714	636	0	0.00

* पीएमएवाई-जी के तहत राज्य को एक इकाई मानते हुए केंद्रीय सहायता जारी की जाती है। इसके बाद राज्य स्तर पर लाभार्थियों के बैंक खातों में निधियां जारी की जाती हैं।

अनुबंध-II

पीएमएवाई-ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत मकानों के संबंध में लोक सभा में दिनांक 14.12.2021 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं 2542 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित ब्यौरा

पीएमएवाई-जी के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 तक जितने आवासों का निर्माण होने की संभावना है , उनका राज्यवार (उत्तर प्रदेश और राजस्थान सहित) ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	वित्त वर्ष 2021-22 तक पूरा होने वाले मकान (इकाई संख्या में)
1	अरुणाचल प्रदेश	15102
2	असम	399968
3	बिहार	2501305
4	छत्तीसगढ़	1586661
5	गोवा	112
6	गुजरात	289700
7	हरियाणा	28522
8	हिमाचल प्रदेश	11170
9	जम्मू और कश्मीर	106271
10	झारखंड	1052990
11	केरल	30771
12	मध्य प्रदेश	2452769
13	महाराष्ट्र	821860
14	मणिपुर	22878
15	मेघालय	39584
16	मिजोरम	11301
17	नागालैंड	9146
18	ओडिशा	2045537
19	पंजाब	34757
20	राजस्थान	1326678
21	सिक्किम	1134
22	तमिलनाडु	484923
23	त्रिपुरा	45640
24	उतार प्रदेश	1883948
25	उत्तराखंड	15380
26	पश्चिम बंगाल	2693430
27	अण्डमान और निकोबार	770
28	दादरा और नगर हवेली	2567
29	दमन और दीव	13
30	लक्षद्वीप	37

31	पुदुचेरी	0
32	आंध्र प्रदेश	225179
33	कर्नाटक	87803
34	तेलंगाना	0
35	लद्दाख	156
	कुल	**18228062**

****